

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
19 / 24

तारीख दायरा
16—10—2024

तारीख पेशी
19—11—2024

प्रार्थी तिलक राज पुत्र चिपलू निवासी गांव व डा० खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी तिलक राज पुत्र चिपलू निवासी गांव व डा० खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 03—03—1974 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19—11—2024 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
31 / 24 / TEH

तारीख दायरा
07—10—2024

तारीख पेशी
16—11—2024

श्री प्रशोतम लाल पुत्र मदन गोपाल, हाल निवासी नटेहड़, मौजा उज्जैन, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र बाबत दुरुस्ती जाति।

प्रार्थी श्री प्रशोतम लाल पुत्र मदन गोपाल, हाल निवासी नटेहड़, मौजा उज्जैन, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना की है कि महाल नटेहड़, मौजा उज्जैन में प्रार्थी की जाति

राजपूत उपजाति काश्व दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी की सही जाति राजपूत व उपजाति नलोईए दर्ज है जो कि महाल कसड़ोआ, तहसील नादौन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः महाल नटेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति व उपजाति सही दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जाति की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
65 / 2022 / TEH

तकसीम

तारीख पेशी
06-11-2024

देश राज आदि

बनाम

सरस्वती आदि

प्रार्थना—पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 146, खसरा नम्बरान कित्ता 58, रकबा 01-24-07 है0 स्थित महाल सुरालकड़, पटवार वृत्त भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी सरस्वती देवी पुत्री वसन्त राम पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी राह, डा0 गांहलियां, श्रीमती वीना देवी पुत्री वसन्त राम हाल पत्नी ठुनिया राम, गांव कोह, डा0 कुल्थी, तहसील व जिला कांगड़ा, श्रीमती राज कुमारी पुत्र वसन्त राम हाल पत्नी महिन्दर सिंह, निवासी थाना नाग, डा0 थाना, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा, श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री वसन्त राम हाल पत्नी जगदीश सिंह व किशोरी लाल, जगदीश चन्द पुत्र व सर्वश्रीमती नीशा देवी पुत्री व लीला पत्नी बुजू राम पुत्र रांझा, निवासी वडी वही, डा0 गाहलियां, दीप चन्द पुत्र व अनीता देवी पुत्री व श्रीमती भोंटा देवी पत्नी वलन्दा, श्रीमती कंगना देवी पुत्री व श्रीमती विमला देवी पत्नी कपिल देव, समस्त निवासी महाल डाका, डा0 पलेरा, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती सुभाषना देवी पुत्री रिखिया, प्रतापु पुत्र कालू व सुमेर चन्द, श्याम लाल, राजेश कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती कृष्णा रानी, अनीता रानी, संगीता पुत्रियां श्रीमती कौरा देवी समस्त स्थित महाल वडी वही, मौजा गांहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना—पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मङ्गीण, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : 04/C/ 2024

तारीख पेशी : 08-11-2024

नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मङ्गीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषयः— नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मङ्गीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने बजरिया कौसल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सिहोरवाला-I के महाल क्योड़ के राजस्व अभिलेख में नीलम धीमान पुत्री कर्म चन्द दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम नीलम देवन दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला-I के महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मङ्गीण में उसका नाम नीलम धीमान के बजाये नीलम धीमान उपनाम नीलम देवन दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थिया नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द हाल पत्नी भरत भूषण, वासी महाल क्योड़, मौजा सिहोरवाला का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला-I के महाल क्योड़ में नीलम धीमान पुत्री कर्म चन्द के बजाये नीलम धीमान उपनाम नीलम देवन पुत्री कर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मङ्गीण, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मङ्गीण, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : 02C/ 2024

तारीख पेशी : 08-11-2024

योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू मौजा व उप-तहसील मङ्गीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषयः— नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू के राजस्व अभिलेख में जोगराज पुत्र भाग सिंह दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम योगराज दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम जोगराज के बजाये जोगराज उपनाम योगराज दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थी योगराज पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल बल्ह बागडू का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बल्ह बागडू में जोगराज पुत्र भाग सिंह के बजाये जोगराज उपनाम योगराज पुत्र भाग सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06 / M/ 2024

तारीख पेशी : 08-11-2024

लैहरो देवी पुत्री माधो राम, वासी महाल फकेड, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया लैहरो देवी पुत्री माधो राम, वासी महाल फकेड, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-03-1976 को गांव फकेड में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश हो, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा लैहरो देवी पुत्री माधो राम की जन्म तिथि 07-03-1976 को ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : 03C/ 2024

तारीख पेशी : 08-11-2024

नीलम देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय:- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया नीलम देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके स्व० पति का नाम पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल के राजस्व अभिलेख में जीत सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज है। जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम अजीत सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल मौजा व उप-तहसील मझीण में उसके पति का नाम जीत सिंह के बजाये जीत सिंह उपनाम अजीत सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा और प्रार्थिया नीलम देवी के स्व० पति अजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी महाल कुरेड़ा का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल व डडल में जीत सिंह पुत्र सोहन सिंह के बजाये जीत सिंह उपनाम अजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

मझीण, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : 06C/ 2024

तारीख पेशी : 08-11-2024

सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय:- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ के राजस्व अभिलेख में सुरेश कुमार पुत्र रसीला दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम सुरेश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम सुरेश कुमार के बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थी सुरेश चन्द पुत्र रसीला राम, निवासी महाल दबकेड़ का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल दबकेड़ में सुरेश कुमार पुत्र रसीला के बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द पुत्र रसीला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)